

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

प्रतिवासीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता आर.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 271/2024

1. अमरसिंह पुत्र चेताराम जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसारा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. सरोज पत्नी अमरसिंह जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसारा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

-- वादीगण

बनाम

1. सुशीला पत्नी मुकेश कुमार पुत्री चेताराम जाति जाट निवासी तलवाडाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

-- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए.घोषणा, खाता विभाजन

डिक्री

दिनांक :- 02.09.2024

वादीगण की ओर से श्री महेश गौड़ अधिवक्ता की व प्रतिवादीया की ओर से श्री सुनील कुमार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 02.09.24 को स्वाति गुप्ता आर.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

(क) वादी संख्या 1 अमरसिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 3 आर.डबल्यू.डी. के

पत्थर नम्बर 221/352(35) किला नम्बर 4 से 7, 14 से 17, 25/2277 हैक्टर।

(ख) वादीया संख्या 2 सरोज पत्नी अमरसिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 3 आर.

डबल्यू.डी. के पत्थर नम्बर 223/349(14) किला नम्बर 21/2/0.202,

22/2/0.228, 23/2/0.228, 24/2/0.228, 25/2/0.228, पत्थर नम्बर

223/350(19) किला नम्बर 1/2/0.203, 1/3/0.025 हैक्टर गैरमुमकिन

खाला, 2/1/0.228, 2/2/0.025 हैक्टर गैरमुमकिन खाला, 3/1/0.228,

3/2/0.025 हैक्टर गैरमुमकिन खाला।

उपरोक्त अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर

उपरोक्त अनुसार वादीगण की आराजी का खाता तकसीम कर मुताबिक तकसीम रकम

राज अलग से कायम करने तथा चक नम्बर 3 आर.डबल्यू.डी. के खाता संख्या 65/61

आधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
टिब्बी

में से प्रतिवादीया संख्या 1 सुशीला का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किरम (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 02.09.24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
पदेन महासूचना अधिकारी
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
रूपये पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामिल	---		
योग	---	योग	---